# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनमोहन व्यास, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 134/2018

| वादीयां | बनाम | प्रतिवादीगण |
| --- | --- | --- |
| 1. नौरती पत्नी बुधाराम जाति-कुमावत, निवासी-बलून्दा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) | | 1. भागीरथ पुत्र बद्रीलाल<br>2. मांगीलाल पुत्र जयदेव<br>3. छगनीराम पुत्र लछीराम<br>4. बंकटलाल गोद शंकरलाल<br>5. लालचंद पुत्र बंशीलाल<br>6. बालकिशन पुत्र बंशीलाल जातियान-ब्राह्मण, निवासीगण-बलून्दा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)<br>7. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) |

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53(क),188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.30/05/2018

उपस्थितः. 1. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 27/06/2019

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53(क), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-बलून्दा, पटवार हल्का बलून्दा, भू.अ.नि. क्षैत्र आ.कालू, तहसील-जैतारण में वादिया की खरीदसुदा खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2202 रकबा 07-08 बीघा, खसरा नम्बर 2203 रकबा 05-08 बीघा, खसरा नम्बर 2205 रकबा 17-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 3 कुल रकबा 31-03 बीघा कृषि भूमि आई हुई है। वर्णित भूमि में वादिया का 1/2 हिस्सा व 1/8 वां हिस्सा आता है। कुल भूमि 19-09 बीघा आती है। वादिया वैज्ञानिक तरीके से खेती करना चाहती है। तथा उस हेतु बैंक से ऋण लेना चाहती है। इसलिए अपनी खरीदसुदा भूमि का बंटवाड़ा करवाना चाहती है। वर्णित भूमि में वादिया अपने 1/2 हिस्सा एवं 1/8 हिस्सानुसार भूमि में काश्त करती है। तो खाता सामलाती होने से आने जाने हेतु प्रतिवादीगण झगड़ा करते है। तो वादिया उनको ऐसा हरगीज करने नहीं देगी। जिससे विभिन्न प्रकार की मुकदमेंबाजी होगी। जिससे वादियों को अपने साम्पैतिक अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा। जिससे वादियों को असीम क्षति होगी। उसके लिए वादिया का विभिन्न प्रकार के दीवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगे। जिससे वादिया जैर बार हो जायेंगे। तथा उसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नहीं आंकी जा सकती है। इसलिए यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश किया जा रहा है। बिनाया दावा दिनांक 02/05/2018 को प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि के बंटवाड़ा करने से मना करने पर व रास्ते में नहीं जाने देने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम बलून्दा में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। तथा अंदर म्याद पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण को बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया, सा0मि0 हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबन्दी का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकारामा चाहता हैं। लिहाजा वादी के माफिक राजस्व रेकर्ड हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा-बलून्दा, पटवार हल्का बलून्दा, भू.अ.नि. क्षैत्र आ.कालू, तहसील-जैतारण में वादिया की खरीदसुदा खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2202 रकबा 07-08 बीघा, खसरा नम्बर 2203 रकबा 05-08 बीघा, खसरा नम्बर 2205 रकबा 17-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 3 कुल रकबा 31-03 बीघा कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)



Scanned by CamScanner

नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को पत्रांक/कोर्ट/2019/409 दिनांक 14/06/2019 को अधिकृत किया जाकर आदेशित किया गया।

तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2019/3260 दिनांक 26/06/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का गहनता से अवलोकन किया गया। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा फर्द पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर हैं। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

## –::आदेश::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–बलून्दा, पटवार हल्का बलून्दा, भू.अ.नि. क्षैत्र आ.कालू, तहसील–जैतारण में वादिया की खरीदसुदा खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2202 रकबा 07–08 बीघा, खसरा नम्बर 2203 रकबा 05–08 बीघा, खसरा नम्बर 2205 रकबा 17–17 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 3 कुल रकबा 31–03 बीघा कृषि भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा बीघा बिस्वा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नौरती देवी पत्नी बुधाराम कौम कुमावत सा.देह खातेदार। | 2202<br>2203<br>2205/1 | 4-19<br>3-07<br>11-03 | बा.अ.<br>बा.अ.<br>बा.अ. | 3.06<br>2.07<br>6.91 |
| | **योग** | **3** | **19-09** | **बा.अ.** | **12.04** |
| 2 | भागीरथ पुत्र बद्रीलाल 39/234 मांगीलाल पुत्र जयदेव 39/234 छगनीराम पुत्र लछीराम 78/234 बकटलाल गोदपुत्र शंकरलाल 39/234 भरत कमलकिशोर मुकन तारादेवी पिता लालचंद पानीबाई पत्नी लालचंद मुरलीधर पुत्र बालकिशन 39/234 कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार। | 2202/1<br>2203/1<br>2205 | 2-19<br>2-01<br>6-14 | बा.अ.<br>बा.अ.<br>बा.अ. | 1.84<br>1.28<br>4.16 |
| | **योग** | **3** | **11.14** | **बा.अ.** | **7.28** |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 27/06/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)



Scanned by CamScanner